फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 28/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/15)
श्री पारसमल जारोली व अन्य बनाम श्री शांतिलाल जारोली व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>14.12.2022</td><td>उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री संजय बोहरा, परमेश्वर पंड्या - वकील अपीलार्थी
2. श्री भवानी शंकर पानेरी - वकील प्रत्यर्थी-1
3. श्री प्रमोद कुमार दाणी - वकील प्रत्यर्थी-5 व 6

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, बप्रकरण संख्या 07/2018 निर्णय दिनांक 27.11.2019 (अनवान श्री शांतिलाल बनाम श्री पारसमल जारोली व अन्य)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 14.12.2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला, बप्रकरण संख्या 07/2018 निर्णय दिनांक 27.11.2019 (अनवान श्री शांतिलाल बनाम श्री पारसमल जारोली व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

• वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या-1 श्री शांतिलाल जारोली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत मोरवन द्वारा पारित नामांतरण संख्या 904 दिनांक 22.01.1990 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि मौजा मोरवन की आराजी नम्बर 2703/1191 रकबा 2.3390 हैक्टेयर ग्राम पंचायत मोरवन द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के पिता नानालाल की मृत्यु के पश्चात तस्दीक किया गया जबकि खातेदार नानालाल पिता जीवराज को उक्त आराजी आवंटन से प्राप्त हुई जिसके पुराने नम्बर 1191/1 है। आराजी संख्या 1191/1 श्री शांतिलाल के पिता को आवंटित होकर स्वअर्जित जायदाद होने से नानालाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02.01.1982 को एक वसीयतनामा उसके पक्ष में मोतबीर साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित की। नानालाल की मृत्यु हो चुकी है, उक्त वसीयत प्रभाव में आ चुकी है। उक्त आराजी पर श्री शांतिलाल का ही निरंतर कब्जा चला आ रहा है फिर भी राजस्व अधिकारियों ने बिना मौके पर जांच किये एवं बिना उसको सुने एक पक्षीय रूप से उक्त नामांतरण स्वीकृत कर दिया जो निरस्त किया जाने योग्य है।

• उपखण्ड अधिकारी, डूंगलाल द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर कर निर्णय दिनांक 27.11.2019 से नामान्तकरण संख्या 904 दिनांक 22.01.1990 को निरस्त कर वसीयत के आधार पर श्री शांतिलाल जारोली के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया।

उक्त आदेश दिनांक 27.11.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील दिनांक 04.05.2020 को मय</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/15) **श्री पारसमल जारोली व अन्य बनाम श्री शांतिलाल जारोली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किया जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। दिनांक 02.12.2022 को अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-1, 5 व 6 उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि विरासत का नामांतरण संख्या 904 ग्राम पंचायत, डूंगला द्वारा बिल्कुल सही निर्णित किया गया था तथा यह नामांतरण स्वयं शांतिलाल द्वारा स्वीकृत कराया गया था एवं अपने हिस्से की भूमि का विक्रय लक्ष्मीलाल के हक में किया जाकर उसे सिपूर्द कर दिया तथा इसका नामांतरण संख्या 1069 ग्राम पंचायत, डूंगला से स्वीकृत करवा लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में कथित अपील 28 वर्षो के बाद पेश की गई, जो स्प्ष्ट रूप से मयाद बाहर पेश की गई है क्योंकि कथित नामांतरण का ज्ञान शांतिलाल को न 1990 में ही हो गया था। शांतिलाल द्वारा 28 वर्षो का समय हो जाने के बाद तथ्यों को छिपाते हुए अपील पेश की जो स्पष्ट रूप से गलत है और मयाद वाधित थी, श्री शांतिलाल द्वारा 28 साल बाद अपील पेश करने हेतु प्रत्येक दिन के कारणों का उल्लेख नहीं किया है जो किया जाना था। कथित भूमि से शांतिलाल का सन 1997 में विक्रय के बाद कोई संबंध नही होते हुए भी सन 2018 में फर्जी वसीयत तैयार कर अपील पेश की गई। नेचुरल वारिसान के नाम पर नामांतरण स्वीकृत कराये 28 वर्षो का समय हो चुका है तथा उसके बाद शांतिलाल के मन में बेईमानी आ जाने से उसने फर्जी वसीयत तैयार कर जो अपील पेश की वह निरस्त किये जाने योग्य है। श्री शांतिलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत धारा-5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कही भी यह अंकित नहीं किया है कि 28 वर्ष तक वसीयत कहा थी और उसे किस प्रकार इस वसीयत की जानकारी हुई। इस संबंध में सिविल कोर्ट में बटवारे का केस सभी चला तथा उसमें जो वसीयत पेश की गई उसे साबित होना नही मानते हुए व फर्जी वसीयत मानते हुए बंटवारे का दावा डिक्री किया गया उक्त बंटवारे की अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में आज भी लम्बित है उसमें अपने हक व अधिकरों का शांतिलाल तय करवा सकता है तथा उसे नामांतरण के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई अधिकार नही होते हुए तथ्यों को छुपाते हुए नामांतरण की अपील गलत पेश कर इसका निर्णय करवा लिया जो अवैधानिक है। अगर कोई व्यक्ति कथित वसीयत के आधार पर कोई हक अधिकार रखता है तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर हक व अधिकारों को तय करवा सकता है, म्यूटेश की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/15) **श्री पारसमल जारोली व अन्य बनाम श्री शांतिलाल जारोली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यवाही समरी कार्यवाही है एवं इस समरी कार्यवाही में वसीयत के आधार पर कोई अधिकार तय नही किये जा सकते है। वसीयत में नानालाल के हस्ताक्षर भी फर्जी किये गये है। विवादित भूमि गैर खातेदारी में दर्ज थी, जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती है क्योंकि गैर खातेदारी भूमि की जो कथित वसीयत निष्पादित की गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार शुन्य है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। इसके उक्त वसीयत अंपजीकृत थी, राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 132 के अनुसार अंपजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुने बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी की प्रोपर तामिल नहीं करवाई गई। श्री शांतिलाल द्वारा जानबुझकर राष्ट्रदुत नामक स्थानीय समाचार पत्र में तामिली की कार्यवाही कराई गई जबकि कई पक्षकार राज्य के बाहर निवासरत थे जिनकी ताईद अदम तामिल लौटे सम्मन की जा सकती है। अपीलार्थी तहसील में खाते की नकल निकलवाने जब तहसील गया तब उसको अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई और जानकारी प्राप्त होते ही, नकल प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2019 को अपास्त कर नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांक 22.01.1990 को बहाल रखे जाने का अनुरोध किया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये- 1. आरआरटी 2014(1) पेज 209 2. आरआरडी 2017 पेज 525 3. आरआरटी 2014(1) पेज 96 4. आरबीटी 2014 पेज 19 5. आरआरटी 2009(1) पेज 500 6. आरआरटी 2009(1) पेज 376 7. आरबीजे 2008 पेज 67 (एचसी) 8. सीटी 2013(2) पेज 824 (एचसी) 9. निगरानी/एलआर/3729/2019/श्रीगंगानगर में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित वर्थ रिपोर्टेबल निर्णय दिनांक 10.10.2022 **अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 ने अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाहर है, उनके द्वारा प्रत्येक दिन देरी के कारण स्पष्ट नहीं किये गये है, जो मयाद अधिनियम की धारा-3 के तहत आवश्यक है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारण पर्याप्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/15) **श्री पारसमल जारोली व अन्य बनाम श्री शांतिलाल जारोली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं संतोषप्रद नहीं है। अपीलार्थी को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी आरम्भ से ही थी फिर भी उनके द्वारा जानबुझकर तथ्यों को छिपाते हुए अपील देरी से पेश की गई जो इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्दअहकाम कें अंकन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय समक्ष सीपीसी के प्रावधानों अनुरूप तामिली की कार्यवाही की गई एवं दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशन कर तामिली की कार्यवाही को सम्पादित किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत डूंगला को पक्षकार बनाया गया जबकि प्रकरण ग्राम पंचायत मोरवन से संबंधित है, अपीलार्थी द्वारा अपील में पक्षकारों का कुंसयोजन किया गया, इस बिन्दु पर भी अपील खारिज होने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपील में भी निर्णय की दिनांक का गलत अंकन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारणों पर गहरी आपत्ति पेश की गई जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मयाद के संबंध में अपना अभिमत लेखबद्ध किया है। मौजा मोरवन की आराजी नम्बर 2703/1191 रकबा 2.3390 हैक्टेयर ग्राम पंचायत मोरवन द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के पिता नानालाल की मृत्यु के पश्चात तस्दीक किया गया जबकि खातेदार नानालाल पिता जीवराज को उक्त आराजी आवंटन से प्राप्त हुई जिसके पुराने नम्बर 1191/1 है। आराजी संख्या 1191/1 रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता की स्वअर्जित जायदाद होने से नानालाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02.01.1982 को एक वसीयतनामा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में मोतबीर साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित। नानालाल की मृत्यु हो चुकी है, उक्त वसीयत प्रभाव में आ चुकी है। उक्त आराजी पर रेस्पोडेंट संख्या 1 का ही निरंतर कब्जा चला आ रहा है फिर भी राजस्व अधिकारियों ने बिना मौके पर जांच किये एवं बिना रेस्पोडेंट संख्या 1 को सुने एक पक्षीय रूप से उक्त नामांतरण रेस्पोडेंट के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो निरस्त किया जाने योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा दिनांक 27.11.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये- 1. 2010(2) सीटी राज पेज 543 2. 2010(2) सीटी (एससी) पेज 462 3. 2013(2) आरआरटी पेज 887 4. 2013(2) आरआरटी पेज 891 5. 2007(2) आरआरटी पेज 938 **अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-5 व 6 ने अपनी बहस में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-5 व 6 के द्वारा प्रस्तुत कथनों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मयाद बाहर है, उनके द्वारा प्रत्येक दिन देरी के कारण स्पष्ट नहीं किये गये है, जो मयाद अधिनियम की धारा-3 के तहत आवश्यक है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारण पर्याप्त एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/15) **श्री पारसमल जारोली व अन्य बनाम श्री शांतिलाल जारोली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संतोषप्रद नहीं है। अपीलार्थी को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी आरम्भ से ही थी फिर भी उनके द्वारा जानबुझकर तथ्यों को छिपाते हुए अपील देरी से पेश की गई जो इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्दअहकाम कें अंकन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय समक्ष सीपीसी के प्रावधानों अनुरूप तामिली की कार्यवाही की गई एवं दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशन कर तामिली की कार्यवाही को सम्पादित किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत डूंगला को पक्षकार बनाया गया जबकि प्रकरण ग्राम पंचायत मोरवन से संबंधित है, अपीलार्थी द्वारा अपील में पक्षकारों का कुंसयोजन किया गया, इस बिन्दु पर भी अपील खारिज होने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपील में भी निर्णय की दिनांक का गलत अंकन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारणों पर गहरी आपत्ति पेश की गई जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मयाद के संबंध में अपना अभिमत लेखबद्ध किया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का आदरपूर्वक अध्ययन किया गया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर विवेचन किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा देरी का प्रमुख कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामिल नही होने एवं निर्णय एकतरफा पारित किया जाना बताया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/15) **श्री पारसमल जारोली व अन्य बनाम श्री शांतिलाल जारोली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किया जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है व प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत प्रकरण से पुरी तरह सम्बन्धित है, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट आया है कि श्री शांतिलाल जारोली द्वारा प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगणों पर सम्मन जारी किये गये जिसमें कुछ प्रत्यर्थीगणों के सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुए जिसमें उनका उदयपुर व बैंगलोर में निवासरत होने का अंकन तामिल कुनिन्दा द्वारा किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राष्ट्रदुत अखबार के लोकल एडिशन में प्रकाशन कराया गया जबकि एक पक्षकार तो अन्य राज्य में निवासरत है, जिसके संबंध में साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उपलब्ध थे। यह स्थिति प्रकट करती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों पर प्रोपर तामिल की कार्यवाही नहीं कर निर्णय पारित कर दिया गया, जो सुलभ न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। इस न्यायालय समक्ष अधिवक्ता अपीलार्थी का एक उज्र रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत 28 वर्षों से देरी की अपील में मयाद कण्डोन किया जाना बिल्कुल उचित नहीं है। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का अवलोकन किया गया जिसमें श्री शांतिलाल द्वारा उक्त वसीयत को सहवन से कही रख दिये जाने का उल्लेख किया गया है और साफसफाई के दौराने उक्त वसीयत के पाये जाने का उल्लेख किया है। यह कथन समर्थन किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि श्री शांतिलाल जारोली द्वारा विवादित भूमि में से अपने हक/हिस्से का बेचान श्री लक्ष्मीलाल को दिनांक 01.02.1997 में ही कर दिया गया और उसके 21 वर्षों द्वारा उसकी भूमि के संबंध में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने की अपील की। यदि वसीयत उसके पक्ष में वर्ष 1982 में ही निष्पादित की जा चुकी थी, उक्त बेचान के समय उसे इस तथ्य का ज्ञान होना स्वाभाविक है, फिर भी उसके द्वारा बेचानशुदा भूमि के संबंध में अपील दायर कर दी गई जो यह प्रकट करता है कि वह स्वच्छ हाथों से राजस्व न्यायालयों समक्ष नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद कण्डोन किये जाते समय उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया गया जो अनुचित है। महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि उक्त भूमि श्री नानालाल को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/15) **श्री पारसमल जारोली व अन्य बनाम श्री शांतिलाल जारोली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवंटित होकर गैर खातेदारी दर्ज थी। इस संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जमांबदी प्रस्तुत की, जिसके अनुसार उक्त भूमि दिनांक 17.06.1990 को खातेदारी में दर्ज की गई। उक्त प्रकरण में जिस कथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण 904 निरस्त किया गया, उसका निष्पादन दिनांक 02.01.1982 को किया गया। अतः स्पष्ट है कि जिस समय कथित वसीयत का निष्पादन किया गया, तत्समय विवादित भूमि गैरखातेदारी में दर्ज थी। इस प्रकार दिनांक 02.01.1982 को गैर खातेदारी भूमि की वसीयत निष्पादित की गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार शून्य थी। साथ ही राजस्थान भू राजस्व (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 132 के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है साथ ही जहां वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। 2014 (1) RRT 209 में मण्डल की माननीय एकल पीठ ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है- "Land of gair khatedari- No right to transfer the land by way of Will- Will was ineffective qua the plaintiff respondent Nos. 1 & 2." इसके अनुसार गैरखातेदारी की भूमि वसीयत के जरिये हस्तान्तरणीय नहीं है। दूसरे शब्दों में वसीयत दस्तावेज को निष्पादित व पंजीकृत कराते समय जिस सम्पत्ति पर स्वयं वसीयतकर्ता को ही स्पष्ट हक प्राप्त नहीं है, उस सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है। यदि वसीयत लिखते समय सम्पत्ति वसीयकर्ता के हक में ही नहीं है तो ऐसी वसीयत मूलतः ही अवैध एवं अप्रभावी है। हस्तगत प्रकरण में श्री शांतिलाल के पक्ष में वसीयत निष्पादित करते समय विवादग्रस्त आराजी वसीयतकर्ता की गैर खातेदारी में दर्ज थी अर्थात् सम्पत्ति वसीयतकर्ता के पूर्ण एवं स्पष्ट हक में नहीं थी। ऐसे में श्री शांतिलाल के पक्ष में की गई वसीयत विधि विरूद्ध होकर प्रारम्भ से ही अप्रभावी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 में वसीयत द्वारा काश्तकारी हितों के हस्तान्तरण का प्रावधान किया गया है, किन्तु विधायिका द्वारा यह अधिकार केवल खातेदार कृषक को दिया गया है, गैर खातेदार कृषक को यह अधिकार नहीं है। मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा 2012 (1) RRT 709 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है- "Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation attested in favour of the adopted son 'M'- Appellants claimed the right on the basis of unregistered Will- No original 'Will' produced- 'L' was the 'Gair Khatedar Tenant' & not competent to execute the Will- Registered adoption deed- Concurrent findings that L S/o G & L S/o J is the same person- Held, interference in concurrent finding is not justified in second appeal." इसके अनुसार भी गैर खातेदार कृषक वसीयत निष्पादन हेतु सक्षम नहीं है। मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा 2020 RBJ 301 में निम्नानुसार मत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/15) **श्री पारसमल जारोली व अन्य बनाम श्री शांतिलाल जारोली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिपादित किया गया है- "Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- On the basis of Un-registered Will mutation cannot be attested- Non applicant should file a suit in the competent court who can decide about the validity of Will mutation proceedings is a fiscal proceedings in which rights about khatedar of land cannot be decided." इसके अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। 2016 (2) RRT 1099 में मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है- "Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation- Will in favour of 'R' Addl. Divisional Commissioner directed to record the land in the name of heirs of 'L'- Dispute between natural heirs & testamentary heirs 'R'- 'R' is required to prove will in the regular suit- Suit for title is pending- Held, Interference in the order is not justified." उक्तानुसार जहां प्राकृतिक वारिसान व वसीयती वारिस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि हस्तगत प्रकरण में श्री शांतिलाल के पक्ष में वसीयत निष्पादित करते समय विवादग्रस्त आराजी वसीयतकर्ता की गैर खातेदारी में थी अर्थात् सम्पत्ति वसीयतकर्ता के पूर्ण एवं स्पष्ट हक में नहीं थी। ऐसी स्थिति में वसीयकर्ता द्वारा श्री शांतिलाल के पक्ष में दिनांक 02.01.1982 को गैर खातेदारी भूमि की वसीयत निष्पादित की गई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार शून्य थी। साथ ही राजस्थान भू राजस्व (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 132के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा श्री शांतिलाल जारोली की अपील को स्वीकार कर वसीयत दिनांक 02.01.1982 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 27. 11.2019 पारित किया है, वह विधिक रूप से न्यायोचित नहीं होने से निरस्तनीय है। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1, 5 व 6 द्वारा कई तकनिकी बिन्दु पर उज्र प्रस्तुत किया, जो प्रकरण में गुणावगुण पर तथ्यों के मजबुत होने की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में होने से चस्पा होते है और अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य भिन्न होने से चस्पा	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 28/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/15) **श्री पारसमल जारोली व अन्य बनाम श्री शांतिलाल जारोली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं होते है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट स्वीकार** की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2019 निरस्त/अपास्त किया जाकर ग्राम पंचायत मोरवन द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांक 22.01.1990 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (अंजलि राजोरिया) I.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	